



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 10—मार्च 16, 2013, शनिवार/फाल्गुन 19—फाल्गुन 25, 1934
No. 11] NEW DELHI, MARCH 10—MARCH 16, 2013, SATURDAY/PHALGUNA 19—PHALGUNA 25, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2013

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हेस्सारघट्टा तकनीकी अधिकारी, भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यकी विभाग के अधीन केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हेस्सारघट्टा में तकनीकी अधिकारी समूह 'क' राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हेस्सारघट्टा तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी अधिकारी	2* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
आवश्यक :			लागू नहीं होता		एक वर्ष
(i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में शामिल					

(7)

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में डिग्री या समतुल्य तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या राज्य पशु चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण।
(ii) कृत्रिम वीर्यसंचन/हिमशीतित वीर्य के क्षेत्र में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय : पशु आनुवंशिकीय तथा प्रजनन या पशु चिकित्सा प्रसूती विज्ञान तथा स्त्रीरोग विज्ञान या पशुजीव प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

टिप्पण 1 : वेतन बैंड 3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के वेतनमान पर पद के उन्नयन से पूर्व, 6500—10500 रु. के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्त किए गए तकनीकी अधिकारी के नियमित पद धारण करने वाले की उपयुक्तता, उन्नत पद पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा आरंभिक निर्धारण में ली जाएगी। यदि वे नियुक्ति के लिए उपयुक्त निर्धारित किए जाते हैं तो वे या वह पद पर आरंभिक गठन पर नियुक्त समझे जाएंगे। यदि उन्नत वेतनमान पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किए जाते हैं तो वे या वह पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में बने रहेंगे तथा उसका या उनके मामले प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित किए जाएंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं।

(10)

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. पशुपालन आयुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य
3. निदेशक या उप सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य
4. संयुक्त आयुक्त या उप उपायुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य

(13)

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. 39-6/2009-प्रशा.-III]

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 3rd March, 2013

G.S.R. 65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hessarghatta, Technical Officer Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer, Group 'A' Gazetted post in the Central Frozen Semen Production and Training Institute under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Frozen Semen Production and Training Institute, Technical Officer (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or scale of pay.—The number of the said post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Officer	2* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100, Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Essential :			Not applicable	One year	
(i) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised University included in the First Schedule or Second Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) With registration in the Veterinary Council of India or in a State Veterinary Council.					
(ii) Two years experience of working in the field of artificial insemination and production of frozen semen.					

(7)

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :

Post Graduate Degree in Animal Genetics and Breeding or Veterinary Obstetrics and Gynecology or Animal Bio-technology.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

By direct recruitment.

Not applicable

Note 1.—The suitability of the regular holders of the post of Technical Officer appointed in the pre-revised scale of Rs. 6500—10500, prior to upgradation of this post to Pay Band 3 in the scale of Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 5400, will be initially assessed by the Commission for appointment to the upgraded post. If assessed suitable he or they shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay, he or they shall be continue in the revised pay structure in pay band 2, Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4600 and his or their case would be reviewed every year.

Note 2.—Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and possessing the educational qualifications proposed for direct recruits under column (7).

(The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Chairman 2. Joint Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 3. Director or Deputy Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 3. Joint or Dy. Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

[F.No. 39-6/2009-Admn.-III]
YOGINDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

सा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आशुलिपिक (श्रेणी घ) चारा उत्पादन भर्ती नियम और निदर्शन प्रादेशिक केंद्र तथा केन्द्रीय चारा उत्पादन फार्म हसरघत्ता बेंगलुरु (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आशुलिपिक (श्रेणी घ) चारा उत्पादन भर्ती नियम और निदर्शन प्रादेशिक केंद्र तथा केन्द्रीय चारा उत्पादन फार्म हसरघत्ता बेंगलुरु (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आशुलिपिक (श्रेणी घ) चारा उत्पादन भर्ती नियम और निदर्शन प्रादेशिक केंद्र तथा केन्द्रीय चारा उत्पादन फार्म हसरघत्ता बेंगलुरु (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची के स्तंभ 7 के अधीन शीर्षक कौशल परीक्षण सन्नियम के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“श्रुतलेख : दस मिनट में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति; कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) का प्रतिलेखन”

[फा. सं. 39-24/2009-प्रशा. III (एफएफ)]

आर. एस. जायल, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 320, तारीख 11 नवम्बर, 2011 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 12th March, 2013

G.S.R. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Stenographer (Group 'D') Regional Station for Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm, Hessarghatta, Bangaluru (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2011, namely :—

1. (1) These Rule may be called the Stenographer (group 'D') Regional Station for Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm, Hessarghatta, Bangaluru (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Stenographer (group 'D') Regional Station for Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm, Hessarghatta, Bangaluru, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2011, in the schedule, under column '7' under the heading skill test norms, the following entry shall be substituted namely :—

“DICTATION : 10 minutes at the rate of eighty words per minute; Transcription : Fifty minutes (English) Sixty Five minutes (Hindi) on computer”.

[F.No. 39-24/2009-Admn. III (FF)]

R. S. JAYAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 320, dated the 11th November, 2011.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चारा उत्पादन और निदर्शन के लिए क्षेत्रीय केंद्र तथा केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म सहायक, हसरगट्टा बेंगलूर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चारा उत्पादन और निदर्शन के लिए क्षेत्रीय केंद्र तथा केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म सहायक, हसरगट्टा बेंगलूर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) चारा उत्पादन और निदर्शन के लिए क्षेत्रीय केंद्र तथा केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म सहायक, हसरगट्टा बेंगलूर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची के स्तंभ 7 में, "आवश्यक" शीर्ष के अधीन, "किसी कृषि फार्म में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के किसी कृषि फार्म में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 39-20/2009-प्रशा.-III (एफएफ)]

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), सा.का.नि. सं. 278, तारीख 28 सितम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 12th March, 2013

G.S.R. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Farm Assistant at Regional Station for Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm, Hessarghatta, Bengaluru (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2011, namely :—

- (1) These rules may be called the Farm Assistant at Regional Station for Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm, Hessarghatta, Bengaluru (Group 'C' posts) Recruitment Amendment Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) In the Farm Assistant at Regional Station for Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm, Hessarghatta, Bengaluru (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2011, in the Schedule, in Column 7, under the heading 'Essential', for the words "at least one year's experience of work at an Agriculture Farm", the words "at least one year experience of work at an Agriculture Farm of Central or State Government or public sector undertaking" shall be substituted.

[F.No. 39-20/2009-Admn.-III (FF)]

R. S. JAYAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 278, dated the 28th September, 2011.

शहरी विकास मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार मुद्रणालय एवं शाखा (कैटीन कर्मचारी समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1997, उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय के अधीन, भारत सरकार मुद्रणालयों एवं शाखाओं में कैटीन कर्मचारियों के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय तथा शाखाएं (कैटीन कर्मचारियों के समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. आरंभिक गठन.—इन नियमों के लागू होने के समय, इन नियमों के द्वारा अधिक्रमित नियमों के अंतर्गत नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट पदों को नियमित आधार पर धारित करने वाले सभी व्यक्तियों को इन नियमों के अंतर्गत उक्त सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उनके द्वारा इन नियमों के लागू होने से पूर्व की गई सेवा को प्रोन्नति हेतु पात्रता के विनिश्चय तथा सेवाओं अन्य निबंधन और शर्तों के लिए गणना में लिया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	विद्यमान पद	निम्नलिखित के रूप में पुनः पदनामित
1.	रसोई लिपिक	कैंटीन लिपिक
2.	काउंटर लिपिक	कैंटीन लिपिक
3.	कूपन लिपिक	कैंटीन लिपिक
4.	सेल्समैन	कैंटीन लिपिक
5.	सहायक सेल्समैन	कैंटीन लिपिक
6.	रसोईया	हलवाई-सह-रसोईया
7.	सहायक रसोईया	सहायक हलवाई-सह-रसोईया
8.	सहायक हलवाई	सहायक हलवाई-सह-रसोईया
9.	चाय बनाने वाला	कैंटीन परिचर
10.	बर्तन धोने वाला	कैंटीन परिचर
11.	वाहक	कैंटीन परिचर

4. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन-बैंड, ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतन-बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. निरर्हता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए विनिश्चयों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कैंटीन लिपिक	सत्ताईस (27)* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी ।

(6)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई है

(7)

(8)

(9)

(क) वाणिज्य सहित 12वीं कक्षा या समकक्ष।
(ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाव के औसत से 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा/9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा के अनुरूप है।)

आयु : जी, नहीं
शैक्षिक अर्हताएं : 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष।

सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए - कुछ नहीं

टिप्पण 1 : अनुरूप अर्हता अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर यह राय है कि उसके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :
ऐसा कैटीन परिचर जिसने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. के पद पर कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। लिपिक के पद पर प्रोन्नति हेतु कैटीन परिचर के लिए संगठनात्मक व्यवहार, संवाद

(11)

कौशल तथा लेखा कार्य में आई. एस.टी.एम. या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति :

(1) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं।

या

(2) ऐसा कैंटीन परिचर जिसने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

प्रतिनियुक्त व्यक्ति के पास स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, इसकी संरचना क्या है

किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता।

1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय —अध्यक्ष
या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय
2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक —सदस्य
(तकनीकी) या प्रभारी अधिकारी
3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य

टिप्पण : यदि किसी मुद्रणालय का कोई उपरोक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी पदनाम तथा हैसियत वाले पदधारी कर्मचारी को उपरोक्त विभागीय प्रोन्नति समिति या चयन समिति के संघटक में शामिल किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हलवाई-सह- रसोईया	तेरह (13)* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7) लागू नहीं होता	(8) लागू नहीं होता	(9) लागू नहीं होता
(10) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(11) <p>प्रोन्नति : ऐसा सहायक हलवाई तथा रसोईया जिसने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. के पद पर कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं । या (ii) वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. के पद पर सहायक हलवाई तथा रसोईया ।</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव हो : (i) दसवीं उत्तीर्ण तथा खान-पान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आदि । (ii) अनुभव : किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में 2 वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जाएगी ।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p>	
(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	(13) लागू नहीं होता ।	
<ol style="list-style-type: none"> महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय —अध्यक्ष या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक —सदस्य (तकनीकी) या प्रभारी अधिकारी ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य <p>टिप्पण : यदि किसी मुद्रणालय का कोई उपरोक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, अन्य समान मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी पदनाम तथा हैसियत वाले पदधारी कर्मचारी को उपरोक्त विभागीय प्रोन्नति समिति के संघटक में शामिल किया जाएगा ।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक हलवाई-सह-रसोईया	बीस (20)* (2013) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिसको रोजगार कार्यालय द्वारा नाम भेजने के लिए कहा गया है।
	(7)		(8)		(9)
	(क) दसवीं उत्तीर्ण तथा खान-पान में डिप्लोमा आदि। (ख) अनुभव : एक वर्ष और (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा खान-पान के लिए एक व्यवसाय दक्षता परीक्षा ली जाएगी जिसमें स्वच्छता का रख-रखाव आदि भी शामिल है। टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर यह राय है कि उसके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		नहीं		सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए - कुछ नहीं
	(10)		(11)		
	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा		प्रोन्नति : कैंटीन परिचर जिसने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. के पद पर कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा रसोईया के संदर्भ में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा एक व्यवसाय परीक्षा ली जाएगी जिसमें स्वच्छता को बनाए रखना आदि भी शामिल है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं। या (2) वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. के पद पर कैंटीन परिचर के रूप में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें एक वर्ष का अनुभव हलवाई तथा रसोईया के सहायक के रूप में होना चाहिए।		

(11)

(ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव होना चाहिए ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय —अध्यक्ष
या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय
2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक —सदस्य
(तकनीकी) या प्रभारी अधिकारी
3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य

टिप्पण : यदि किसी मुद्रणालय का कोई उपरोक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी पदनाम तथा हैसियत वाले पदधारी कर्मचारी को उपरोक्त विभागीय प्रोन्नति समिति या चयन समिति के संघटक में शामिल किया जाएगा ।

(13)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कैंन्टीन परिचर	बावन (52)* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिसको रोजगार कार्यालय द्वारा नाम भेजने के लिए कहा गया है ।
(7)			(8)		(9)
दसवीं या समतुल्य			लागू नहीं होता		दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
------	------

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता ।

1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय —अध्यक्ष
या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय
2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक —सदस्य
(तकनीकी) या प्रभारी अधिकारी
3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य

टिप्पण : यदि किसी मुद्रणालय का कोई उपरोक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, अन्य समान मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी पदनाम तथा हैसियत वाले पदधारी कर्मचारी को उपरोक्त विभागीय प्रोन्नति समिति या चयन समिति के संघटक में शामिल किया जाएगा ।

[फा. सं. 22/3/2012-ए-1]
सुरेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF PRINTING)

New Delhi, the 12th March, 2013

G.S.R. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government of India Presses/Branches (Group 'C' and 'D' posts of canteen employees) Recruitment Rules, 1997, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts of canteen employees of the Government of India Presses and Branches under the Directorate of Printing, Ministry of Urban Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Directorate of Printing, Government of India Presses and Branches (Group 'C' posts of canteen employees) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Initial Constitution.—All the persons appointed at the commencement of these rules holding the posts specified in column (2) in the table below on regular basis under the rules superseded by these rules shall be deemed to have been appointed to the posts specified in column (3) of the said table under these rules and the services rendered by them before the commencement of these rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion and other terms and conditions of services, namely :—

TABLE

Sl. No.	Existing post	Redesignated as
(1)	(2)	(3)
1.	Kitchen Clerk	Canteen Clerk
2.	Counter Clerk	Canteen Clerk
3.	Coupon Clerk	Canteen Clerk
4.	Salesman	Canteen Clerk
5.	Assistant Salesman	Canteen Clerk

6.	Cook	Halwai-cum-Cook
7.	Assistant Cook	Assistant Halwai-cum-Cook
8.	Assistant Halwai	Assistant Halwai-cum-Cook
9.	Tea Maker	Canteen Attendant
10.	Wash Boy	Canteen Attendant
11.	Bearer	Canteen Attendant

4. Number of posts, classification and pay band, grade pay and pay scale.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) and annexure of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Canteen Clerk	Twenty Seven (27)* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, ₹ 5200—20200 with Grade Pay ₹ 1900	Non-selection	18—25 years, relaxation in age limit to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,

(6)

Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees

Period of probation, if any

(7)

(8)

(9)

(a) 12th Pass or equivalent with Commerce.
(b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression per Hour or 9000 Key Depression per Hour on an average of 5 key depressions for each word.)

Age : No
Educational Qualification : 12th Class Pass or equivalent.

Two years for Direct Recruits;
Nil for promotees.

Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to the said communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(10)

(11)

50% by Promotion failing which by deputation and 50% by direct recruitment.

Promotion :
Canteen Attendant with at least three years regular service in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 + Grade pay of ₹1800. Two week training on Organizational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be mandatory for the Canteen Attendant for promotion to the post of Clerk from ISTM or any other recognised Institutes.

(11)

Deputation :

(i) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis,

or

(ii) Canteen Attendant with at least three years regular service in the Pay Band-1 of ₹ 5200—20200 + Grade pay of ₹ 1800.

The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : The department officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion or Selection Committee consisting of :—

Not applicable.

1. General Manager or Manager of Government of India Press or Government of India Text Books Presses —Chairman
2. Senior most Deputy Manager or Assistant Manager (Technical) or Officer-in-charge —Member
3. Senior most Assistant Manager (Administration) —Member

Note : If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Departmental Promotion or Selection Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Halwai-cum-Cook	Thirteen (13)* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, ₹ 5200—20200 with Grade Pay ₹ 2000	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
(10)	(11)	
By promotion failing which by deputation	<p>Promotion : Assistant Halwai-cum-Cook in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 + Grade pay of ₹ 1900 with at least three years regular service.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 + Grade pay of ₹ 1900.</p> <p>(b) Possessing the following qualifications and experience : (i) 10th class pass with a certificate or diploma in catering etc.</p> <p>(ii) Experience : Two years in a Government Deptt. or Undertaking preferred.</p> <p>Note 1 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2 : The department officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	
(12)	(13)	
<p>Group 'C' Departmental Promotion or Selection Committee consisting of :—</p> <p>1. General Manager or Manager or Government of India Press or Government of India Text Books Presses —Chairman</p> <p>2. Senior most Deputy Manager or Assistant Manager (Technical) or Officer-in-charge —Member</p> <p>3. Senior most Assistant Manager (Administration) —Member</p> <p>Note : If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Departmental Promotion or Selection Committee.</p>		Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Halwai-cum-Cook	Twenty (20)* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, ₹ 5200—20200 with Grade Pay ₹ 1900	Non-selection	18—25 years, relaxation in age limit to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names.
	(7)		(8)		(9)
	(a) 10th Pass with a certificate or diploma in catering, etc. (b) Experience — One year; and (c) A Trade Skill Test for the cooking including maintenance of hygiene, etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to the said communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		No		Two years for Direct Recruits; Nil for promotees
	(10)		(11)		
	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.		Promotion : Canteen Attendant in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 + Grade pay of ₹ 1800 with at least three years regular service; and A Trade Test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene, etc. Deputation : Officers of the Central Government (a) (i) Holding analogous posts on regular basis, Or (ii) Canteen Attendant in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 + Grade Pay of ₹ 1800 with at least three years regular service having one year experience as Helper to Halwai-cum-Cook.		

(11)

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : The department officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion or Selection Committee consisting of :—

Not applicable.

1. General Manager or Manager of Government of India Press or Government of India Text Books Presses —Chairman
2. Senior most Deputy Manager or Assistant Manager (Technical) or Officer-in-charge —Member
3. Senior most Assistant Manager (Administration) —Member

Note : If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Departmental Promotion or Selection Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Canteen Attendant	Fifty Two (52)* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, ₹ 5200—20200 with Grade Pay ₹ 1800	Not applicable	18—25 years, relaxation in age limit to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names.

(7)

(8)

(9)

Matriculation or equivalent

Not applicable

Two years

(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion or Selection Committee consisting of :— <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager or Manager of Government of India Press or Government of India Text Books Presses —Chairman 2. Senior most Deputy Manager or Assistant Manager (Technical) or Officer-in-charge —Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) —Member <p>Note : If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Departmental Promotion or Selection Committee.</p>	Not applicable.

[F.No. 22/3/2012-A-I]
SURENDRA SINGH, Dy. Director (Admn.)